INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

बाल विवाह के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अवलोन पर अध्ययन

(Study on observation of steps taken by the Government against Child Marriage)

Kanchan Jain
Research Scholar
Department of Education,
Mangalayatan University,
Aligarh (Uttar Pradesh, India)

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/10.2022-99237676/IRJHIS2210016

प्रस्तावना :

भारत में बाल विवाह प्रचलित हैं । बाल **विवाह की सीमा और पैमाने के अनुसार** स्रोतों के बीच अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। 2015-2016 की **यूनिसेफ की रिपोर्ट का अनुमान है** कि भारत की बाल विवाह दर 27% है।भारत की जनगणना ने 1981 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष की जनगणना अवधि में बाल विवाह में महिलाओं के अनुपात में उम्र के अनुसार विवाहित महिलाओं की गणना और रिपोर्ट की है।

2001 की जनगणना रिपोर्ट में, भारत ने 10 वर्ष से कम आयु की शून्य विवाहित लड़कियों को बताया, 10-14 आयु वर्ग की 59.2 मिलियन लड़कियों में से 1.4 मिलियन विवाहित लड़कियां, और 15-19 आयु वर्ग की 46.3 मिलियन लड़कियों में से 11.3 मिलियन विवाहित लड़कियां। **टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया** कि '2001 के बाद से, 2005 और 2009 के बीच भारत में बाल विवाह दर में 46% की गिरावट आई है।

झारखंड भारत में सबसे अधिक बाल विवाह दर (14.1%) वाला राज्य है, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हाल के वर्षों में बाल विवाह दर में वृद्धि हुई है। जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां 2009 में सबसे कम बाल विवाह के मामले 0.4% थे। बाल विवाह की ग्रामीण दर 2009 में शहरी भारत की दर से तीन गुना अधिक थी।

सरकार द्वारा बनाए गए कानून :

1929 में भारतीय कानून के तहत बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। हालाँकि, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अविभाजित ब्रिटिश भारत में मुस्लिम संगठनों के विरोध के तहत, 1937 में एक व्यक्तिगत कानून शरिया अधिनियम पारित किया गया था जिसमें एक लड़की के अभिभावक की सहमति से बाल विवाह की अनुमति दी गई

थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, इस अधिनियम में दो संशोधन हुए। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 1949 में लड़कियों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 1978 में बढ़ा दी गई थी। बाल विवाह रोकथाम कानूनों को भारतीय अदालतों में चुनौती दी गई है, कुछ मुस्लिम भारतीय संगठनों के साथ न्यूनतम आयु की मांग नहीं करना और यह कि उम्र का मामला उनके पर्सनल लॉ पर छोड़ दिया जाए। बाल विवाह एक सक्रिय राजनीतिक विषय होने के साथ-साथ भारत के उच्चतम न्यायालयों में चल रहे मामलों की समीक्षा का विषय है। भारत के कई राज्यों ने विवाह में देरी के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत की है।

हरियाणा राज्य ने 1994 में तथाकथित अपनी बेटी, अपना धन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका अनुवाद "मेरी बेटी, मेरा धन" है। यह एक सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है, जो उसके 18वें जन्मदिन के बाद, अगर वह विवाहित नहीं है, तो उसके नाम पर, उसके माता-पिता को देय, ₹ 25,000 (US$310) की राशि में, उसके नाम पर एक सरकारी भुगतान बांड प्रदान करके युवा विवाह में देरी करने के लिए समर्पित है।

1929 में भारतीय कानून के तहत बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। हालाँकि, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अविभाजित ब्रिटिश भारत में मुस्लिम संगठनों के विरोध के तहत, 1937 में एक व्यक्तिगत कानून शरिया अधिनियम पारित किया गया था जिसमें एक लड़की के अभिभावक की सहमति से बाल विवाह की अनुमति दी गई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, इस अधिनियम में दो संशोधन हुए। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 1949 में लड़कियों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 1978 में बढ़ा दी गई थी। बाल विवाह रोकथाम कानूनों को भारतीय अदालतों में चुनौती दी गई है, कुछ मुस्लिम भारतीय संगठनों के साथ न्यूनतम आयु की मांग नहीं करना और यह कि उम्र का मामला उनके पर्सनल लॉ पर छोड़ दिया जाए। बाल विवाह एक सक्रिय राजनीतिक विषय होने के साथ-साथ भारत के उच्चतम न्यायालयों में चल रहे मामलों की समीक्षा का विषय है। भारत के कई राज्यों ने विवाह में देरी के लिए प्रोत्साहन की शुरुआत की है।

उदाहरण के तौर पर, हरियाणा राज्य ने 1994 में तथाकथित अपनी बेटी, अपना धन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका अनुवाद "मेरी बेटी, मेरा धन" है। यह एक सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम है, जो उसके 18वें जन्मदिन के बाद, अगर वह विवाहित नहीं है, तो उसके नाम पर, उसके माता-पिता को देय, ₹ 25,000 (US$310) की राशि में, उसके नाम पर एक सरकारी भुगतान बांड प्रदान करके युवा विवाह में देरी करने के लिए समर्पित है।

भारतीय कानून के अनुसार, ऐसा विवाह है जिसमें या तो महिला या पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम है। अधिकांश बाल विवाह में लड़कियां शामिल होती हैं, जिनमें से कई की सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब होती है।

एसडीआरसी द्वारा बाल विवाह भारत : भारत में बाल विवाह प्रचलित हैं। बाल विवाह की सीमा और पैमाने के अनुसार स्रोतों के बीच अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। 2015-2016 की यूनिसेफ की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत की बाल विवाह दर 27% है। भारत की जनगणना ने 1981 के बाद से प्रत्येक 10 साल की जनगणना अवधि में बाल विवाह में महिलाओं के अनुपात के साथ, उम्र के अनुसार विवाहित महिलाओं की गणना

और रिपोर्ट की है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट में, भारत ने 10 वर्ष से कम उम्र की शून्य विवाहित लड़कियों को बताया, 10-14 आयु वर्ग की 59.2 मिलियन लड़कियों में से 1.4 मिलियन विवाहित लड़कियां, और 15-19 आयु वर्ग की 46.3 मिलियन लड़कियों में से 11.3 मिलियन विवाहित लड़कियां।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि '2001 के बाद से, 2005 और 2009 के बीच भारत में बाल विवाह दर में 46% की गिरावट आई है। झारखंड भारत में सबसे अधिक बाल विवाह दर (14.1%) वाला राज्य है, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हाल के वर्षों में बाल विवाह दर में वृद्धि हुई है। जम्मू और कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां 2009 में सबसे कम बाल विवाह के मामले 0.4% थे। बाल विवाह की ग्रामीण दर 2009 में शहरी भारत की दर से तीन गुना अधिक थी।

1929 में भारतीय कानून के अंतर्गत बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में, विवाह की कानूनी न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अविभाजित ब्रिटिश भारत में मुस्लिम संगठनों के विरोध के अंतर्गत, 1937 में एक व्यक्तिगत कानून शरिया अधिनियम पारित किया गया था जिसमें एक लड़की के अभिभावक की सहमति से बाल विवाह की अनुमति दी गई थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, इस अधिनियम में दो संशोधन हुए। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 1949 में लड़कियों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 1978 में बढ़ा दी गई थी। बाल विवाह रोकथाम कानूनों को भारतीय अदालतों में चुनौती दी गई है, कुछ मुस्लिम भारतीय संगठनों के साथ न्यूनतम आयु की मांग नहीं करना और यह कि उम्र का मामला उनके पर्सनल लॉ पर छोड़ दिया जाए। बाल विवाह एक सक्रिय राजनीतिक विषय होने के साथ-साथ भारत के उच्चतम न्यायालयों में चल रहे मामलों की समीक्षा का विषय है।

बाल विवाह के परिणाम :

प्रारंभिक मातृ मृत्यु : जीवन में पहले शादी करने वाली लड़कियों को प्रजनन संबंधी मुद्दों के बारे में सूचित किए जाने की संभावना कम होती है और इस वजह से, 15 से 19 साल की उम्र की विवाहित लड़कियों में गर्भावस्था से संबंधित मौतों को मृत्यु दर का प्रमुख कारण माना जाता है। इन लड़कियों में 20 से 24 साल की उम्र की लड़कियों की तुलना में प्रसव के दौरान मरने की संभावना दोगुनी होती है। 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में प्रसव के दौरान मरने की संभावना 5 गुना अधिक होती है।

शिशु स्वास्थ्य : 18 वर्ष से कम आयु की माताओं से जन्म लेने वाले शिशुओं में 19 वर्ष से अधिक आयु की माताओं की तुलना में उनके पहले वर्ष में मरने की संभावना 60% अधिक होती है। यदि बच्चे जीवित रहते हैं, तो उनके जन्म के समय कम वजन, कुपोषण और देर से शारीरिक रूप से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है।

प्रजनन परिणाम : 2005 और 2006 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और मैक्रो इंटरनेशनल द्वारा भारत में किए गए एक अध्ययन में बाल विवाह के भीतर उच्च प्रजनन क्षमता, कम प्रजनन नियंत्रण और खराब प्रजनन परिणाम डेटा दिखाया गया है। 90.8% युवा विवाहित महिलाओं ने अपने पहले बच्चे के जन्म से पहले गर्भनिरोधक का उपयोग नहीं करने की सूचना दी। 23.9% ने शादी के पहले साल के भीतर बच्चा होने की सूचना दी।

17.3% ने शादी के दौरान तीन या अधिक बच्चे होने की सूचना दी। 23% ने तेजी से दोहराए गए बच्चे के जन्म की सूचना दी, और 15.2% ने अवांछित गर्भावस्था की सूचना दी । 15.3% ने गर्भावस्था समाप्ति (मृत जन्म,गर्भपात) की सूचना दी।शहरी क्षेत्रों की तुलना में मलिन बस्तियों में प्रजनन दर अधिक है। बाल विवाह में युवा लड़कियों को बड़ी उम्र की महिलाओं की तुलना में अपने विवाह में घरेलू हिंसा का अनुभव होने की अधिक संभावना है।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन द्वारा भारत में किए गए एक अध्ययन से पता चला - कि 18 साल से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों को उनके पति द्वारा पीटे जाने, थप्पड़ मारने या धमकी देने की संभावना दोगुनी होती है, और यौन हिंसा का अनुभव होने की संभावना तीन गुना अधिक होती है। युवा दुल्हनें अक्सर यौन शोषण और अभिघातज के बाद के तनाव के लक्षण दिखाती हैं ।

भारत में बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम :

अपनी बेटी, अपना धन (एबीएडी), जो "मेरी बेटी, मेरी संपत्ति" का अनुवाद करता है, भारत के पहले सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक है जो देश भर में युवा विवाहों में देरी के लिए समर्पित है। 1994 में, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को हरियाणा राज्य में लागू किया । मां के पहले, दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर, उन्हें प्रसव के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले 15 दिनों के भीतर ₹ 500, या यूएस $ 11 प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। इसके साथ ही, सरकार बेटी के नाम पर एक दीर्घकालिक बचत बांड में निवेश करने के लिए ₹ 2,500, या US$35, देती है, जिसे बाद में ₹ में भुनाया जा सकता है।25,000, या US$350, उसके 18वें जन्मदिन के बाद। अगर वह शादीशुदा नहीं है तो ही उसे पैसा मिल सकता है। बाल विवाह और किशोरियों की विशेषज्ञ अंजू मल्होत्रा ने इस कार्यक्रम के बारे में कहा, "किसी अन्य सशर्त नकद हस्तांतरण में शादी में देरी का ध्यान केंद्रित नहीं है,यह माता-पिता को अपनी बेटियों को महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन है।"

साहित्य समीक्षा :

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन वर्ष 2012 के दौरान अपनी बेटी, अपना धन का मूल्यांकन करेगा, जब कार्यक्रम के शुरुआती प्रतिभागी 18 वर्ष के हो जाते हैं, यह देखने के लिए कि क्या कार्यक्रम, विशेष रूप से नकद प्रोत्साहन ने माता-पिता को अपनी बेटियों की शादी में देरी करने के लिए प्रेरित किया है। . अपनी बेटी की प्रोग्राम मैनेजर प्रणिता अच्युत ने कहा, "हमारे पास सबूत हैं कि सशर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम लड़कियों को स्कूल में रखने और उनका टीकाकरण कराने में बहुत प्रभावी हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक इस बात का सबूत नहीं है कि यह रणनीति शादी को रोकने के लिए काम करती है।" अपना धन।

2005-06 में प्रकाशित यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाल विवाह दर लगभग 47% होने का अनुमान लगाया गया था। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में यह आंकड़ा घटकर 27% रह गया। यूनिसेफ ने यह भी बताया कि बाल विवाह तीन भारतीय राज्यों (राजस्थान , बिहार और पश्चिम बंगाल) में व्यापक रूप से फैला हुआ था और इन राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन 40% है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट के अनुसार, 2009 में अंडर -18 लड़कियों के लिए उच्चतम विवाह दर

वाले राज्य झारखंड (14.1%), पश्चिम बंगाल (13.6%), बिहार (9.3%), उत्तर प्रदेश (8.9%) थे। और असम (8.8%)। [3] इस रिपोर्ट के अनुसार, 1991 के बाद से बाल विवाह दर में तेज कमी के बावजूद, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र की 7% महिलाओं की शादी 2009 में हुई थी। यूनिसेफ इंडिया ने भारतीय बाल विवाह दर को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत की 2011 की राष्ट्रव्यापी जनगणना के अनुसार, महिलाओं के लिए विवाह की औसत आयु 21.2 है। 15-19 आयु वर्ग में, भारत में सर्वेक्षण में शामिल 69.6% महिलाओं की कभी शादी नहीं हुई थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट जमीन पर वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं कर रही है और संख्या उतनी कम नहीं है जितनी वे रिपोर्ट में दिखाई देती हैं'। उनका कहना है कि बाल विवाह से संबंधित डेटा स्थानीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है न कि यूनिसेफ द्वारा। भारत में, सरकार हर साल एकत्र किए जाने वाले जनगणना के आंकड़ों के एक हिस्से के रूप में दूल्हा और दुल्हन की उम्र के बारे में पूछती है । भारत में बाल विवाह अवैध है, इसलिए उनके अधिकारियों को यह बताने की संभावना कम है कि उन्होंने कानून तोड़ा है।

यूनिसेफ इंडिया के बाल संरक्षण विशेषज्ञ ध्रुवरखा श्रीराम का कहना है कि "हर कोई जानता है कि भारत में कम रिपोर्टिंग हो रही है - यहां तक कि यूनिसेफ को भी इसकी जानकारी है"।

श्रीराम के अनुसार, लोग भारत में शादी की अवैध उम्र के बारे में जानते हैं, इसलिए उनके सच बोलने की संभावना कम होती है, जिसके कारण कम रिपोर्टिंग होती है।

सारथी नाम का एक गैर सरकारी संगठन चलाने वाली **कृति भारती ने कहा** कि राजस्थान में लोग कानून से बचने के तरीके खोज रहे हैं। राजस्थान में लोग रात में विवाह समारोह आयोजित करते हैं, जिसमें विवाह में शामिल होने वाले लोगों का केवल एक छोटा समूह होता है, जिससे पड़ोसी या रिश्तेदार द्वारा पुलिस को सतर्क करने की संभावना कम हो जाती है। एक बार विवाह हो जाने के बाद, कम उम्र की दुल्हन को उसके पति के साथ रहने के लिए तब तक नहीं भेजा जाता जब तक कि वह यौवन तक नहीं पहुंच जाती। भले ही अधिकारियों को इत्तला दे दी गई हो, परिवार किसी भी गलत काम से इनकार कर सकते हैं।

भारती का कहना है कि 'भारत के कुछ हिस्सों में, अधिकारियों की हमेशा दिलचस्पी नहीं होती है और बाल विवाह को संस्कृति के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाएं : भारत में बाल विवाह एक गंभीर चिंता का विषय है। बाल विवाह एक बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित करता है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कम उम्र में शादी लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए, शादी का एक मजबूत शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे शैक्षिक अवसर और व्यक्तिगत विकास की संभावना कम हो जाती है। जबकि लड़के भी बाल विवाह से प्रभावित होते हैं, यह एक ऐसा मुद्दा है जो लड़कियों पर बहुत अधिक संख्या में और अधिक तीव्रता से प्रभाव डालता है, यहां तक कि लगभग आधी महिलाओं की उम्र 18-29 (46 प्रतिशत) और एक चौथाई से अधिक पुरुष हैं।

21-29 आयु (27 प्रतिशत) का विवाह के समय कानूनी न्यूनतम आयु (एनएफएचएस III) तक पहुंचने से पहले विवाह होने का अनुमान है। ऐसा माना जाता है कि जल्दी विवाह का मुख्य कारण सांस्कृतिक कारक हैं, सामाजिक प्रथाएं और आर्थिक दबाव गरीबी और असमानता के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इस प्रकार, बाल विवाह का मुद्दा कई बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधित पहलुओं में उलझा हुआ है। स्वतंत्रता-पूर्व भारत में बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 1929 में लागू किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 मुख्य रूप से बाल विवाह को प्रतिबंधित करने पर केंद्रित था।

केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 को निरस्त करके और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है, जिसमें बाल विवाह करने, अनुमति देने और बढ़ावा देने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय शामिल हैं। इस अधिनियम के तहत, बाल विवाह को 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के विवाह के रूप में परिभाषित किया गया है। यह बाल विवाह को रद्द करने का भी प्रावधान करता है और एक अलग महिला को अपने पति से भरण-पोषण और निवास का अधिकार देता है यदि वह 18 वर्ष से ऊपर है या ससुराल में अगर वह नाबालिग है तो उसका पुनर्विवाह किया जाता है। यह अधिनियम नवंबर 2007 में लागू हुआ। राज्यों को इस कानून के कार्यान्वयन और प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां निहित हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, अब तक 24 केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों ने नियम बनाए हैं और 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं। केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति और राज्य के नियमों की अधिसूचना के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से प्रयास कर रही है।

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 में बाल विवाह उन्मूलन के लक्ष्य भी शामिल हैं। बालिकाओं सहित बच्चों की सुरक्षा की दिशा में भारत द्वारा की गई उल्लेखनीय पहलों में से एक है, बच्चों के अधिकारों के उचित प्रवर्तन और बच्चों से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। 2000 से तैयार की गई कई राष्ट्रीय स्तर की नीतियां, जिनमें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 और राष्ट्रीय किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य रणनीति शामिल हैं, ने शादी की उम्र और पहले बच्चे को गर्भ धारण करने की उम्र में देरी करने की वकालत की है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बालिकाओं की स्थिति को बढ़ाने और बाल विवाह की समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

• बालिकाओं के प्रति जागरूकता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने हर साल 24 जनवरी को 'के रूप में घोषित किया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस'।

• प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे समन्वित प्रयासों से अखातीज-ऐसे विवाहों के लिए पारंपरिक दिन पर विवाह में देरी के लिए विशेष पहल करें।

• बाल विवाह को रोकने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों और कानूनी

जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है।

• सबला, किशोरी लड़कियों को सशक्त बनाने की एक योजना, 19 नवंबर 2010 से देश के 200 जिलों में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किशोर लड़कियों (11-18 वर्ष) को उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करके और घर जैसे विभिन्न कौशलों को उन्नत करके सशक्त बनाना है। कौशल, जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल आदि और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता का निर्माण। उन्हें सही उम्र में शादी के महत्व के प्रति भी संवेदनशील बनाया जाएगा। किशोर लड़कियों को सशक्त बनाकर, जो कम उम्र में शादी के लिए ना कह सकती हैं, यह योजना बाल विवाह के मुद्दे को भी संबोधित करेगी।

• 25 मई 2012 को नई दिल्ली में बाल विवाह की रोकथाम पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। परामर्श में चर्चा मुख्य रूप से बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) 2006 और अन्य संबंधित कानूनों के विधायी और कार्यान्वयन पहलुओं पर केंद्रित थी। परामर्श में इस बात पर सहमति हुई कि सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के उपाय और वकालत विशेष रूप से, भेद्यता मानचित्रण के बाद, बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले सामाजिक दृष्टिकोण को संबोधित करने के लिए आगे का रास्ता था। विभिन्न केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों के बीच अभिसरण और बाल विवाह पर केंद्र और राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक समन्वित अंतर-विभागीय कार्रवाई पर भी जोर दिया गया।

• बाल विवाह रोकथाम पर एक राष्ट्रीय रणनीति कानून प्रवर्तन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अन्य अवसरों तक पहुंच, बदलती सोच और सामाजिक मानदंडों, किशोरों के सशक्तिकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिसंबर 2012 में तैयार की गई थी।

• रणनीति के आधार पर, राष्ट्रीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था। बाल विवाह की रोकथाम पर कार्रवाई निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ तैयार की गई थी:

i) पीसीएमए 2006 और संबंधित कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए बच्चों और किशोरों को बाल विवाह से बचाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए।

ii) लड़कियों पर विशेष जोर देते हुए सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देना।

iii) बाल विवाह और समाज में लड़कियों की भूमिका और स्थिति के संबंध में सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न करना।

iv) किशोर लड़कों और लड़कियों को सेवाओं तक पहुँचने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण करना।

v) कार्यक्रमों और नीतियों को सूचित करने के लिए ज्ञान और डेटा उत्पन्न करना।

vi) परिणामों को मापने के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली विकसित और स्थापित करना।

vii) मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों के बीच अभिसरण बढ़ाने के लिए।

कार्य योजना के मसौदे पर 8 जुलाई 2013 को लखनऊ में एक क्षेत्रीय परामर्श और 18 जुलाई 2013 को नई

दिल्ली में एक राष्ट्रीय परामर्श में चर्चा की गई। विचार-विमर्श के आधार पर, राष्ट्रीय कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्य योजना परिभाषित करती है विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं को चित्रित करने के अलावा लक्ष्य, उद्देश्य और रणनीतियाँ। यह रणनीतिक हस्तक्षेपों को अपनाता है जिसे विभिन्न हितधारकों द्वारा लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय स्व-सरकारें, सिविल सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठन अभिसरण और बहु-आयामी दृष्टिकोणों का उपयोग कर रहे हैं।

बाल विवाह निरोध अधिनियम, 1929

बाल विवाह के अनुष्ठापन को रोकने के लिए एक अधिनियम।

खंड 1

इस अधिनियम को बाल विवाह निरोध अधिनियम, (1929) कहा जा सकता है।

यह पूरे भारत (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) तक फैला हुआ है और यह भारत के बाहर और बाहर भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू होता है।

यह 1 अप्रैल, 1930 को लागू होगा।

धारा 2: परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो:

"बालक" का अर्थ उस व्यक्ति से है, जिसने यदि पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि एक महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

"बाल विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिससे अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बच्चा हो;

विवाह के लिए "संविदा पक्ष" का अर्थ उन पक्षों में से किसी एक से है जिनकी शादी (या होने वाली है) इस प्रकार अनुष्ठापित की गई है और

"नाबालिग" का अर्थ है किसी भी लिंग का व्यक्ति जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है।

धारा 3: इक्कीस वर्ष से कम आयु के पुरुष वयस्क के लिए एक बच्चे से शादी करने के लिए दंड - जो कोई भी, अठारह वर्ष से अधिक और इक्कीस वर्ष से कम उम्र का पुरुष होने के नाते, बाल विवाह का अनुबंध करता है, वह साधारण कारावास से दंडनीय होगा, जिसे पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

धारा 4: इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वयस्क के लिए एक बच्चे से शादी करने के लिए दंड - जो कोई भी, इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का पुरुष होने के नाते, बाल विवाह का अनुबंध करता है, वह साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो तीन महीने तक का हो सकता है और यह भी होगा जुर्माने के लिए उत्तरदायी।

धारा 5: बाल-विवाह करने के लिए दण्ड- (1) जो कोई भी बाल विवाह करता है, संचालित करता है या निर्देशित करता है, वह साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि उसके पास ऐसा करने का कारण था। विश्वास है कि विवाह बाल-विवाह नहीं था।

धारा 6: बाल विवाह में संबंधित माता-पिता या अभिभावक के लिए दंड-

जहां एक नाबालिग बाल विवाह का अनुबंध करता है, कोई भी व्यक्ति, जो नाबालिग का प्रभार रखता है, चाहे वह माता-पिता या अभिभावक के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, वैध या गैरकानूनी हो, जो विवाह को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य करता है या इसकी अनुमति देता है, या लापरवाही से विफल रहता है इसे मनाए जाने से रोकने के लिए, साधारण कारावास से दंडनीय होगा जो तीन महीने तक का हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कोई भी महिला कारावास से दण्डनीय न हो।

इस धारा के प्रयोजन के लिए, यह तब तक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता है, कि जहां एक नाबालिग ने बाल विवाह का अनुबंध किया है, ऐसे नाबालिग का आरोप लगाने वाला व्यक्ति विवाह को रोकने में लापरवाही से विफल रहा है।

धारा 7: कुछ उद्देश्यों के लिए अपराध का संज्ञेय होना। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इस अधिनियम के तहत अपराधों पर लागू होगी जैसे कि वे संज्ञेय अपराध थे -

ऐसे अपराधों की जांच के प्रयोजन के लिए: तथा

(i) उस संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों और (ii) बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के अलावा अन्य मामलों के प्रयोजनों के लिए।

धारा 8: इस अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार - (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973) (1974 का 2) की धारा 190 में किसी भी बात के होते हुए भी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का, या प्रयास करना।

धारा 9 : अपराधों का संज्ञान लेने का तरीका - कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं लेगा जिस तारीख को अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया है।

धारा 10: अपराधों की प्रारंभिक जांच - कोई भी न्यायालय, किसी अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, जिसका संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है, वह तब तक करेगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज नहीं कर देता।) या तो स्वयं उस संहिता की धारा 202 के तहत जांच करें या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को ऐसी जांच करने का निर्देश दें।

धारा 11:- बाल विवाह निरोध (संशोधन) अधिनियम, 1949 (1949 का 41), धारा 7 द्वारा निरसित।

धारा 12 : इस अधिनियम के उल्लंघन में विवाह निषेध व्यादेश जारी करने की शक्ति।

बाल विवाह को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल -

दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (ए/आरईएस/66/170) द्वारा अपनाए गए एक संकल्प ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में नामित किया। 11 अक्टूबर 2012 को पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित किया गया था, जिसका विषय बाल विवाह को समाप्त करना था।

2013 में बच्चे, जल्दी और जबरन विवाह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के पहले प्रस्ताव को अपनाया गया था; यह बाल विवाह को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता देता है और संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद के वैश्विक विकास एजेंडे के हिस्से के रूप में इस प्रथा को खत्म करने का वचन देता है।

2014 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने एक दस्तावेज जारी किया जिसमें वे अन्य बातों के अलावा, बाल विवाह को खत्म करने के लिए सहमत हुए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन लड़कियों के बीच शिक्षा प्राप्ति में वृद्धि, मौजूदा न्यूनतम विवाह आयु कानूनों के लिए प्रवर्तन संरचनाओं में वृद्धि, और बाल विवाह को रोकने के लिए प्राथमिक तरीकों के रूप में जुड़े जोखिमों के बारे में माता-पिता को सूचित करने की सिफारिश करता है ।

बाल विवाह को रोकने के कार्यक्रमों ने कई अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। विभिन्न पहलों का उद्देश्य युवा लड़कियों को सशक्त बनाना, माता-पिता को संबंधित जोखिमों पर शिक्षित करना, सामुदायिक धारणाओं को बदलना, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना और शादी के अलावा अन्य माध्यमों से लड़कियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना है। विभिन्न रोकथाम कार्यक्रमों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पहल सबसे अधिक प्रभावी थी जब उन्होंने वित्तीय बाधाओं, शिक्षा और महिलाओं के सीमित रोजगार को दूर करने के प्रयासों को संयुक्त किया।

मलावी में बिना शर्त नकद हस्तांतरण कार्यक्रम में भाग लेने वाली लड़कियों की शादी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवारों में लड़कियों और उनके साथियों की तुलना में बाद में बच्चे थे जिन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। बाल विवाह की दरों पर कार्यक्रम का प्रभाव शर्त वाले लोगों की तुलना में बिना शर्त जाति स्थानांतरण कार्यक्रमों के लिए अधिक था। मूल्यांकनकर्ताओं का मानना है कि इससे पता चलता है कि परिवार की आर्थिक जरूरतों ने इस समुदाय में बाल विवाह की अपील को काफी प्रभावित किया। इसलिए, परिवार पर वित्तीय दबाव कम करने से कम उम्र में बेटियों की शादी करने की आर्थिक प्रेरणा कम हो गई।

भारत में हरियाणा राज्य सरकार ने एक कार्यक्रम संचालित किया जिसमें गरीब परिवारों को अपनी बेटियों को स्कूल में रखने और 18 साल की उम्र तक अविवाहित रहने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता था। इस कार्यक्रम के लिए पात्र परिवारों में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले होने की संभावना कम थी। उनके साथी।

एक कार्यक्रम 2004 में इथियोपिया के ग्रामीण अम्हारा क्षेत्र में जनसंख्या परिषद और क्षेत्रीय सरकार द्वारा संचालित किया गया था - यदि कार्यक्रम के दो वर्षों के दौरान उनकी बेटियां स्कूल में रहती हैं और अविवाहित रहती हैं तो परिवारों को नकद राशि मिलती है। उन्होंने परामर्श कार्यक्रम, आजीविका प्रशिक्षण, लड़कियों की शिक्षा और बाल विवाह के बारे में सामुदायिक बातचीत भी शुरू की और लड़कियों के लिए स्कूल की आपूर्ति दी। दो साल के कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के लिए पात्र परिवारों में लड़कियों के स्कूल में होने की संभावना तीन गुना अधिक थी और उनके साथियों की तुलना में दसवें हिस्से की शादी होने की संभावना थी।

मुफ्त कार्यक्रम में बाल विवाह की रोकथाम के लिए **वैश्विक अभियान (जीसीपीसीएम) मार्च 2019 में शुरू**

किया गया है, और इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य दुनिया में बाल विवाह को संबोधित करने के लिए लोगों के दिमाग में जागरूकता बढ़ाना और रोशन करना है।

कार्यक्रमों ने बाल विवाह को कम सीधे तौर पर लड़कियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, संचार कौशल और सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संबोधित किया है।

2018 में, संयुक्त राष्ट्र महिला ने घोषणा की कि जाहा दुकुरेह अफ्रीका में सद्भावना राजदूत के रूप में काम करेंगी ताकि बाल विवाह को रोकने के लिए संगठित होने में मदद मिल सके।

उपसंहार :

बाल विवाह की प्रथा की जड़ें भारत में ऐतिहासिक और रूढ़िवादी हैं और यह आज भी बहुत ही प्रचलित है, युवा लड़कियों के साथ इस खतरनाक दुर्व्यवहार को जारी रखने वाली प्रमुख समानताएं यह हैं कि जो भारतीय आबादी गरीबी अशिक्षा से जूझती हैं और महिलाओं की शुद्धता पर बहुत अधिक जोर देती हैं, जबकि पितृसत्तात्मक विचार समाजों में भारी मात्रा में निहित हैं। गरीबी के कारण समाज युवा लड़कियों की शादी को मानव अधिकारों के उल्लंघन के बजाय एक आर्थिक परिवर्तन के रूप में देखता है। बच्चे के सर्वोत्तम हित की परवाह किए बिना, मौद्रिक इच्छाएं अक्सर विवाह को प्रेरित करती हैं। महिलाओं की शुद्धता पर अत्यधिक जोर देने से युवा लड़कियों की शादी उनकी कामुकता और प्रजनन की क्षमता को सीमित करने के प्रयास में कर दी जाती है।

पितृसत्तात्मक विचार, अविश्वसनीय रूप से प्रचलित हैं, पुरुषों को यह मानने के लिए प्रेरित करते हैं कि वे महिलाओं से श्रेष्ठ हैं। नतीजतन, महिलाओं को अक्सर खामोश कर दिया जाता है और युवा लड़कियों की इच्छाओं और कल्याण को अप्रासंगिक माना जाता है। महिलाओं और लड़कियों को अक्सर पुरुषों से संबंधित वस्तुओं के रूप में माना जाता है, जिन्हें पुरुषों को खुश करने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, भले ही इसका मतलब कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करना हो महिलाओं की स्थिति आज भी कुछ जगहों पर दयनीय है सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी यह स्थिति विचारणीय है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. गैस्टन, कोलीन मरे; मिसुनास, क्रिस्टीना; कप्पा (2019)। "लड़कों के बीच बाल विवाह: उपलब्ध आंकड़ों का वैश्विक अवलोकन" । कमजोर बच्चे और युवा अध्ययन । 14 (3): 219-228। डोई : 10.1080/17450128.2019.1566584 ।
2. "बाल विवाह" । यूनिसेफ । मार्च 2020।
3. "बाल विवाह" । icrw.org .
4. "बाल विवाह - औचित्य, ऐतिहासिक विचार और परिणाम" । विश्व एटलस । 10 सितंबर 2017
5. पार्सन्स, जेनिफर; एडमीड्स, जेफरी; असलिहान, केस; पेट्रोनी, सुज़ैन; सेक्सटन, मैगी; वोडन, क्वेंटिन (2015)। "बाल विवाह के आर्थिक प्रभाव: साहित्य की समीक्षा"। आस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समीक्षा

। 13 (3): 12-22। डोई:10.1080/15570274.2015.1075757। एचडीएल: 10.1080/15570274.2015.1075757 । एस 2 सीआईडी 146194521 ।

6. एटकिंसन एमपी, कोरगेन केओ, ट्राउटनर एमएन (2019)। सोशल प्रॉब्लम्स: सोशियोलॉजी इन एक्शन । ऋषि प्रकाशन । पी। 238. आईएसबीएन 978-1544358642.
7. नूर, एनएम (2009)। "बाल विवाह: एक मूक स्वास्थ्य और मानवाधिकार मुद्दा" । प्रसूति और स्त्री रोग में समीक्षा । 2 (1): 51-56। पीएमसी 2672998 । पीएमआईडी 19399295 ।
8. "संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह और सहवास: परिवार के विकास के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के चक्र 6 (2002) पर आधारित एक सांख्यिकीय चित्र" (पीडीएफ) । यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस।
9. शेरोन के. हाउसकेनचट और सुसान के. लुईस, "एक्सप्लेनिंग टीन चाइल्डबियरिंग एंड कोहैबिटेशन: कम्युनिटी एंबेडेडनेस एंड प्राइमरी टाईज़", फैमिली रिलेशंस , वॉल्यूम। 54, नंबर 5, परिवार और समुदाय (दिसंबर, 2005), पीपी. 607-620
10. "अफ्रीका में बाल विवाह का उन्मूलन - फॉरवर्ड यूके - फॉरवर्ड" । फॉरवर्ड यूके । 18 फरवरी 2015
11. लैंगिकता शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मार्गदर्शन: एक साक्ष्य-सूचित दृष्टिकोण (पीडीएफ) । पेरिस: यूनेस्को. 2018 पी. 13. आईएसबीएन 978-92-3-100259-5.
12. "अफ्रीका: चाइल्ड ब्राइड्स डाई यंग". अफ़्रीका ।
13. "मैरिंग टू यंग: एंड चाइल्ड मैरिज" (पीडीएफ) । यूएनएफपीए । पी। 23.
14. अर्ली मैरिज, चाइल्ड स्पाउस यूनिसेफ, एशिया पर अनुभाग देखें, पृष्ठ 4 (2001)
15. "दक्षिण पूर्व एशिया की बड़ी दुविधा: बाल विवाह के बारे में क्या करें?" . योजना अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया। 20 अगस्त 2013। 3 अक्टूबर 2013 को मूल से संग्रहीत । 10 जुलाई 2016 को लिया गया ।
16. "आईआरआईएन एशिया - फिलीपींस: जल्दी शादी लड़कियों को जोखिम में डालती है - फिलीपींस - लिंग मुद्दे - स्वास्थ्य और पोषण - मानवाधिकार" । आईआरआईएनसमाचार । 26 जनवरी 2010।
17. "बाल वधू - बाल विवाह: हम क्या जानते हैं" । पीबीएस । 12 अक्टूबर 2007।
18. "सऊदी अरब में बाल विवाह अभी भी एक मुद्दा है" । एसएफगेट । 14 मार्च 2010।
19. "बाल विवाह: नवीनतम रुझान और भविष्य की संभावनाएं" । यूनिसेफ डेटा । 5 जुलाई 2018 । 19 जून 2019
20. "बाल विवाह कई युवा लड़कियों के लिए मौत की सजा है" (पीडीएफ) । यूनिसेफ। 2012। 13 जनवरी 2021 को मूल (पीडीएफ) से संग्रहीत । 11 अगस्त 2013